न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 86/2020 जिला सीकर ।

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. भागचन्द पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. श्रीमति श्रवणी देवी पत्नि त्रिलोकचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नाडा (चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. सुरेश कुमार पुत्र त्रिलोकचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. श्रीमति भगवानी पत्नि श्री श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. ग्यारसी देवी पत्नि भागचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर।
2. तहसीलदार दातारामगढ जिला सीकर
3. प्रभूराम पुत्र श्री हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. बालूराम पुत्र श्री हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. सुवालाल पुत्र नानगराम जाति जाट निवासी लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (मृतक)

5/1. मोतीराम पुत्र स्व0 श्री सुवालाल
5/2. कानाराम पुत्र स्व0 श्री सुवालाल
5/3. भागीरथ पुत्र स्व0 श्री सुवालाल
निवासी लामीया, काजलो की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5/4. रामा देवी पत्नि हनुमान निवासी चैनपुरा, धीमपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5/5. लाडा देवी पत्नि श्री पंजी निवासी चैनपुरा, धीमपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5/6. जमना देवी पत्नि फूल मंगावा निवासी रलावता तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

6. प्रहलाद पुत्र श्री रूडाराम जाति जाट निवासी लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. घासीराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
8. किशनाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. जगदीश पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी ग्राम नाडा(चारणवास) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. श्रीमति पतासी देवी पत्नि स्व0 श्री जुथाराम जाति जाट निवासी लाडपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. श्रवण कुमार पुत्र स्व0 श्री जुथाराम जाति जाट निवासी लाडपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
12. रामसहाय पुत्र स्व0 श्री जुथाराम जाति जाट निवासी लाडपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
13. श्रीमति मंजू देवी पुत्री स्व0 श्री जुथाराम जाति जाट निवासी लाडपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

14. श्रीमति भगवानी पुत्री स्व0 श्री जुथाराम जाति जाट निवासी लाडपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
15. श्रीमति सोहनी देवी पुत्री स्व0 श्री जुथाराम जाति जाट निवासी लाडपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 05.09.2019 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री गिरीश भाभडा।
2. रेस्पोडेंट 5/1 से 15 की ओर से श्री हरलाल सिंह एड.।

निर्णय

दिनांक–12.10.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 05.09.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 12.06.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दांतारामगढ के द्वारा ग्राम चक कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 222, 234, 233, 230, 231, 231 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 व राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानो के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ के द्वारा अभिशंषित प्रस्तावानुसार ग्राम चक कैलाश प0ह0 लिखमा का बास के खसरा नम्बर 222, 234, 233, 230, 231, 231 में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के दिनांक 5.09.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलांटस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नम्बर 220 रकबा 0.06 बीघा किस्म आबादी, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.02 किस्म गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 222 रकबा 4.39 बीघा एवं खसरा नम्बर 224 रकबा 4.44 बीघा किस्म बारानी कुल किता 4 रकबा 9.24 बीघा तन ग्राम चक कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमि अपीलांटस् की खातेदारी भूमि है तथा कब्जेकाश्त व उपयोग में है। तहसीलदार दांतारामगढ एवं उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा की गई समस्त कार्यवाही विधि के प्रावधानो के विरीत है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी को कृषि भूमि में रास्ते बनाने तथा नया रास्तो खोलने के विवाद के मामले में कार्यवाही करने का अधिकारी नही है। रास्ते के अधिकार के मामले में काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत तहसीलदार को आवेदन करके या सिविल कोर्ट के समक्ष दीवानी मुकदमा दायर करके अधिकार स्थापित करने के लिये निहित है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(1) के द्वारा तहसीलदार को प्रदत शक्ति ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.09.1982 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गई है। कृषि भूमि में से नये रास्ते के लिये काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत आवेदन किये जाने पर रास्ते के उपयोग में लिये जाने वाली कृषि भूमि का मुआवजा संबंधित काश्तकार को अदा किये जाने के पश्चात ही रास्ता

12/10/2021
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड में कायम किया जा सकता है। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के आधार पर नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 3 से 15 ने तहसीलदार दांतारामगढ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 222, 234, 233, 232, 231, 230 में रास्ता पीछले 30–40 वर्षो से मौजूद है ओर आने जानें के लिये उपयोग में लिया जा रहा है उसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त आवेदन पर तहसीलदार द्वारा कानूनन कार्यवाही नही की जा सकती थी ओर न ही उनके द्वारा कोई प्रस्ताव दिया जा सकता था। लेकिन तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से उक्त भूमियो में से रास्ते का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी को भिजवा दिये गये जो कानूनी गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमारी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया गया है। तहसीलदार दांतारामगढ एवं उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा पूरी कार्यवाही के दौरान अपीलांटस को नही बुलाया गया ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया। अपीलांटस् को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.7.2019 और 31.7.2019 को जारी नोटिस किसी भी अपीलांटस् की तामील नही करवाई गई है ना ही अपीलांटस द्वारा प्राप्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सोचे समझे तथा अनुचित एवं गलत प्रस्ताव को आधार बनाकर दिनांक 05.09.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 एवं अपीलग्रस्त आदेश में अंकित राज0 भू अभि0 नियमो में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलग्रस्त आदेश पारित करने का क्षैत्राधिकार नही है। रास्तो के संवंध में राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 251ए में विहित प्रावधान अनुयोज्य है, अपीलग्रस्त आदेश पूर्वोक्त अधिनियम में विहित प्रावधानो के प्रतिकूल निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश अपीलांटस् की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलांटस् को सुनवाई का अवसर दिये विना पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तो के प्रतिकूल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 05.09.2019 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.09.2019 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 08.06.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेंटस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम चक कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 222, 234, 233, 230, 231, 231 के खातेदारो की भूमियों में से होकर प्रचलित रास्ता चालू होने, कच्चा पक्का बना हुआ होने तथा बारहमासी आने जाने के उपयोग में लिये के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ ने रिपोर्ट पटवारी हल्का लिखमाकाबास, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2019 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त खातेदारान को विधिवत नोटिस जारी कर एवं सुन कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलांटस् में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्टस द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर की पत्रावली के

17/12/2020
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम चक कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 4.39 है0 में से 0.0420 है0, खसरा नम्बर 234 रकबा 3.58 है0 में से 0.0560 है0, खसरा नम्बर 233 रकबा 3.23 है0 में से 0.0400 है0, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.22 है0 में से 0.0270 है0, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.04 है0 में से 0.0080 है0 एवं खसरा नम्बर 232 रकबा 0.12 है0 में से 0.0140 है0 भूमि गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस व जमाबंदी संलग्न कर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2019 पारित किया गया है। तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 10.7.2019 के संलग्न पटवारी रिपोर्ट में भी अंकन है कि प्रस्वाति रकबा में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ता ग्राम चक कैलाश के भागूराम बुरडक की ढाणी एवं सीमा ग्राम चारणवास से शुरू होकर सीमा ग्राम लामिया तक जाता है जो वर्तमान में चालू है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ ने उक्त कृषि भूमियो में से गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बावत प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.7.2019 एवं दिनांक 31.7.2019 को संबंधित पक्षकारो की तलबी हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 5.9.2019 को पत्रावली नियत की गई। दिनांक 5.9.2019 को संबंधित पक्षकारो को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पुराने प्रचलित रास्ते को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर प. 3(2)राज–6/2003 /पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश की अनुपालना में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई है। भूमि के खातेदारी अधिकारो में कोई परिवर्तन नही किया गया है। हम समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी होने के पश्चात ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित एवं विधि सम्मत है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

12/10/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/10/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner